an>

Title: Need to take steps to ban Cow slaughter in the Country .

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अधीन राज्यों में गायों, बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। हमारे देश में गौमूत्र से कई प्रकार की जनोपयोगी औÂाधियां तैयार की जाती हैं। कुछ राज्यों जैसे गुजरात आदि में गौवध पर प्रतिबंध लगा हुआ है, परंतु उत्तर भारत के कई राज्यों में गौवध की घटनाएं आज भी बहुतायत में सुनने व पढ़ने को मिलती हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैल खेत जोतने और माल ढुलाई का सर्वाधिक उपयोगी साधन एवं गोबर उर्जा का स्त्रोत है। हमारी गाय संस्कृति का प्राण और गौपालन संस्कृति की महान परंपरा रही है। हमारे समाज में गाय को माँ का दर्जा प्राप्त है। गाय की पूजा हमारे सभी प्रकार के सामाजिक पृथाओं और रीति-रिवाजों में होती रही है। गौ पूजन से सभी पाप नÂट हो जाते हैं। गौमूत्र, गोबर, गौदूध आदि सभी प्रकार के पदार्थों से आरोग्य प्राप्त होता है। हमारी शक्तिवर्धक गौ के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से गुजरात में गौवध पर प्रतिबंध है, वैसे ही देश के अन्य राज्यों के लिए यह आदेश जारी करें। दिल्ली के सभी बॉर्डरों से रात को 12 बजे के बाद ये दुधारू पशु आते हैं। महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार कम से कम उन बॉर्डरों पर पशुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए और उन लोगों को पकड़ कर जेल भेजे जो इस कार्य में शामिल रहते हैं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri P.P.Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shri Ramesh Bidhuri.